s (ख)पिछले तीन वर्षों के दौरान डालर के रूप में आयातों और निर्यातों में वर्ष-वार प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है :-

प्रतिशत वृद्धि

| | निर्यात | आयात |
|---|---|---|
| 1993-94 | 20.0 | 6.5 |
| 1994-95 | 18.4 | 22.9 |
| अप्रैल-जनवरी | | |
| 1995-96 | 22.1 | 30.1 |
| 1994-95 | 17.3 | 23.6 |

निर्यात का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है । चालू वर्ष (1995-96) के लिए निर्यात लक्ष्य डालर के रूप में 18.20% वृद्धि पर निश्चित किया गया है । आयात आवश्यकता के आधार पर होते हैं, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) दीर्घ कालीन आधार पर निर्यातों को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जाते हैं। व्यापार उद्योग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करने निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं । निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात आयात नीति तथा क्रियाविधियों का सरलांकरण, निर्यात उत्पादन में वृद्धि कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल अवस्थापना में सुधार तथा निर्यात संवर्धन मे राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी का उल्लेख किया जा सकता है। सरकार इस शताब्दी के अंत तक निर्यात में 75 बिलीयन डालर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले पांच वर्षों में डालर के रूप में 20% वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के प्रयास कर रही है।

**Setting up of a free Port in India**

1063. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether during the reecnt visit of the former Prime Minister of Singapore, Government discussed with him the question of setting-up of a free part port in India on the pattern of Singapore; and

(b) if so, the decision taken for setting-up a free port, at Port-Blair or elsewhere in India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No discussions at the official icvel were held during the visit of the former Prime Minister of Singapore regarding the question of setting up of a free port in India on the pattern of Singapore. Government has so far not taken any decision to set up a free part at Port Blair or elsewhere in India.

**Survey of BIDI and Tobacco Workers**

1064. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the proposals under way to conduct an employment survey of bidi and tobacco workers in the country;

(b) whether Government have received any representation in this regard; and

(c) the steps proposed by Government to methodically survey the employment structures in the bidi and tobacco sectors?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) In view of the proposed legislation on the use of tobacco and tobacco products, representations were received to conduct, inter-alia, employment survey of beedi and tobacco workers in the country. The matter was taken up with the Ministry of Halth & Family Welfare who have appointed an Expert Committee to go into different aspects of tobacco use including employment aspect.

**उपभोक्ताओं द्वारा सुपर बाजार के विरूद्ध दर्ज शिकातयतें**

1065. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार के नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध शिकायत पुस्तिकाओं में

उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष-वार और शाखा-वार कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई,

(ख) वर्ष-वार, शाखा-वार दर्ज की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सुपर बाजार के प्राधिकारियों ने उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच कराने से इंकार कर दिया है,

(घ)यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ड.) क्या शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों का उत्तर दे दिया गया था, और

(च) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण है ?

**नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) :** (क) सुपर बाजार से सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान केवल एक मौखिक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) 26 मई, 1993 को प्राप्त हुई मौखिक शिकायत सुपर-बाजार की शाखा समय से न खोले जाने के बारे में थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ड.) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि यद्यपि शिकायकर्ता को कोई उत्तर नहीं भेजा गया था लेकिन आवश्यक कार्रवाई कर दी गई थी।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

**सुपर बाजार में काम के प्रति लापरवाही और उपेक्षा के मामले**

1066. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार में बिक्री सहायकों में काम के प्रति बढ़ती लापरवाही और उपेक्षा की प्रवृत्ति की जानकारी है जिसके फलस्वरूप जनता को सुपर बाजार में संतोषप्रद उपभोक्ता सेवायें नहीं मिल पा रही है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध मे जनता से सुपर बाजार को शाखा-वार कितनी शिकायतें मिली और उनमें कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

**नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा)** : (क) से (ग) भारत सरकार को सुपर बाजार के बिक्री सहायकों की ग्राहकों के प्रति लापरवाही और उपेक्षा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही सुपर बाजार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है । सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी बिक्री सहायक के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**Cash and credit crunch in sugar mills**

1067. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Cooperative and other sugar mills in Maharashtra and other States are facing a cash and crdit crunch with huge arrears of payments, to be made to peasants accumulated;

(b) if so, what was the overall stock and arrears of payment situation as at the end of January, 1996 in Maharashtra and other States; and

(c) the steps taken by Government to resolve the crisis?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) During the initial period of the crushing season when the volume of cane purchase is comparatively higher, the arrears of cane price tend to increase which gradually get reduced substantially by the end of the season. The cane price arrears as on 31.01.1995 relating to the 1994-95 season which were Rs. 576.87 crores representing 17.7% of the total amount payable got reduced to Rs. 129.32 crores, representing 1.5% of the total amount payable as on 15.11.1995.